थाना कबरई की पुलिस टीम ने 02 अभियुक्तों को

अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा टीमों का गठन किया गया गठित टीम के उ0नि0 चन्द्रशेखर द्वारा एक नफर अभियुक्त रामपाल वर्मा पुत्र लच्छू वर्मा उम्र 42 वर्ष को मय एक झोले से 18 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया

इसी क्रम में उ0नि0 रामेन्द्र कुमार गौतम द्वारा एक नफर अभियुक्त बाबूलाल प्रजापति पुत्र शिवराम प्रजापति उम्र करीब 24 वर्ष को बांदा तिराहा से पहले शुलभ शौचालय के पास से मय एक झोले से 30 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 118/2024 व मु0अ0सं0 119/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह 2. उ0नि0 रामेन्द्र कुमार गौतम 3. प्र0शि0 उ0नि0 अजय प्रताप सिंह
4. हे0कां0 रामकरन सिंह 5. कां0 मोहित सिंह 6. कां0 अवनेश कुमार 7.कां0 सुनील कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रामपाल वर्मा पुत्र लच्छू वर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी गौहारी खोडा थाना कबरई जनपद महोबा
2.बाबूलाल प्रजापति पुत्र शिवराम प्रजापति उम्र करीब 24 वर्ष नि0 मु0 गोविन्द नगर कस्वा कुलपहाड़ा थाना कुलपहाड़ महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष चरखारी श्री गणेश कुमार टीम का गठन किया गया । जिसमें उ.नि.मधुरेश त्रिपाठी द्वारा 01 नफर अभियुक्त प्रेमकुमार अहिरवार पुत्र खेमचन्द्र अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम कुड़ार थाना खरेला जनपद महोबा को जतौरा मोड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ । बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 96/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ.नि.मधुरेश त्रिपाठी
2. का.जयदीप पटेल

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रेमकुमार अहिरवार पुत्र खेमचन्द्र अहिरवार
उम्र 30 वर्ष नि0 ग्राम कुड़ार थाना खरेला महोबा

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने दहेज हत्या से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा थाना महोबकंठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 74/24 धारा 498A/304BIPC व 3/4 DP ACT से संबंधित 02 नफर वाँछित अभियुक्तगण 1.लल्लू श्रीवास पुत्र कालीचरन उम्र 55 वर्ष (मृतका का ससुर) 2. सावित्री देवी पत्नी लल्लू श्रीवास उम्र 52 (मृतका की सास) नि0 ग्राम घुटई थाना महोबकंठ जिला महोबा को मुखबिर की सूचना पर घुटई चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया । अभि0गण उपरोक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। घटना से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त (मृतक के पति) को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय
2. का0 सौरभ सिंह
3. म0का0 खुशबू

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.लल्लू श्रीवास पुत्र कालीचरन उम्र 55 वर्ष
2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी लल्लू श्रीवास उम्र 52 नि0 ग्राम घुटई थाना महोबकंठ महोबा

थाना खरेला की पुलिस टीम ने वांछित तथा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री गोपालचन्द्र कनौजिया द्वारा गठित टीम के व0उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. सतीश राजपूत पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र उम्र करीब 24 वर्ष 2. जीतू उर्फ जितेन्द्र राजपूत पुत्र बृजभूषण उम्र करीब 20 वर्ष को प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सतीष उपरोक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमन्चा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर अवैध व एक खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 43/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया व सम्बन्धित मु0अ0सं0 38/24 धारा 307/323/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)(v), 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0 एक्ट मे सतीष व जीतू उर्फ जीतेन्द्र वाछिंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगणों को मा0 नयायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 अरविन्द कुमार उपाध्याय
2.उ0नि0 अवनीश कुमार यादव
3.उ0नि0 सुनील कुमार मिश्र
4.का0 महेश प्रसाद
5.का0 सचिन यादव

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सतीश राजपूत पुत्र स्व0 हरिश्चन्द्र उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला जनपद महोबा
2.जीतू उर्फ जितेन्द्र राजपूत पुत्र बृजभूषण उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बल्लाय थाना खरेला महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब का निर्माण करने वालों के विरुद्ध की गयी बड़ी कार्यवाही,

01 नफर अभियुक्ता को गिरफ्तार करते हुये कब्जे से 35 ली0 कच्ची शराब व 01 शराब भट्टी बरामद तथा करीब 1000 लीटर लहन किया गया नष्ट

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रचलित लोकसभा सामान्य निर्वाचन वर्ष-2024 के दृष्टिगत जनपद में अवैध शराब निर्माण, बिक्री, तस्करी व अवैध स्प्रिट/एल्कोहल पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध कृत्य में संलिप्त/सक्रिय व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा टीम का गठन किया गया । जिसमें उ.नि. राजेश कुमार शर्मा द्वारा अभियुक्ता कला पत्नी दशरथ कबूतरा नि. ग्राम कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा उम्र करीब 36 वर्ष को कबूतरा डेरा के पीछे से एक भट्टी व शराब बनाने के उपकरण व एक प्लास्टिक के डिब्बे में करीब 35 ली0 कच्ची देशी शराब महुआ के साथ गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर ही करीब 1000 लीटर लहन को नष्ट कराया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं095/2024 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ.नि. राजेश कुमार शर्मा
2. हे.का.संदीप कुमार
3.हे.का. अजीत तिवारी
4.म.का.तेजस्वनी गौर थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्ता-

कला पत्नी दशरथ कबूतरा उम्र करीब 36 वर्ष
नि. ग्राम कबूतरा डेरा सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

"अग्निशमन सेवा सप्ताह" (14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक) के दृष्टिगत अग्निशमन टीम महोबा द्वारा चलाय गया जागरुकता अभियान-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपदवासियों को अग्निसुरक्षा के प्रति जागरुकता प्रदान किये जाने व जनपद में अग्नि से सम्बन्धित दुर्घटनाओं में प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह (14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक) कार्यक्रम चलाया जा रहा है व विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय लोगो को अग्निसुरक्षा के प्रति जागरुक किया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 15.04.2024 को अग्निशमन सुरक्षा सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत आज जनपद महोबा के विभिन्न स्कूलों में फ़ायर सर्विस महोबा द्वारा निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसके माध्यम से अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया साथ ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी द्वारा जनपद के पुलिस एवं प्रशासनिक उच्चाधिकारियों को अग्निसुरक्षा सप्ताह के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रम से सम्बन्धित बुकलेट एवं राष्ट्रीय अग्निशमन स्मृति दिवस से सम्बन्धित फ्लैग पिन किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाही के क्रम में थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने 50 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित अभियुक्ता को किया गिरफ्तार-

आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस टीम द्वारा अपराधियों के विरुद्ध ताबडतोड कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में श्री भास्कर मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ द्वारा गठित की गई उ0नि शेरे आलम खां, उ0नि0 दिनेश तिवारी मय हमराह का0 जयवीर सिंह व म0का0 पिंकी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के साथ 01 नफर अभियुक्ता श्रीमती वतिया कबूतरा पत्नी जड्डा उम्र करीब 40 वर्ष निवासिनी कबूतरा डेरा चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को कबूतरा डेरा बहद ग्राम चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से हिरासत में लिया। अभियुक्ता के कब्जे से एक प्लास्टिक के ड्रम में करीब आधा ड्रम लगभग 50 लीटर कच्ची देशी शराब मय एक बोरी में शराब बनाने के उपकरण जिसमें 02 पतीला, 01 प्लास्टिक की पाइप व एक अदद प्लास्टिक की पिपिया नाजायज बरामद की गयी है। बरामदगी के आधार पर अभियुक्ता के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु0अ0सं0 141/2024 धारा 60(2) EX ACT का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का विवरणः-

श्रीमती वतिया कबूतरा पतनी जड्डा उम्र करीब 40 वर्ष निवासिनी कबूतरा डेरा चुरारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामद माल का विवरणः-

एक प्लास्टिक के ड्रम में करीब आधा ड्रम लगभग 50 लीटर कच्ची देशी शराब मय एक बोरी में शराब बनाने के उपकरण जिसमें 02 पतीला, 01 प्लास्टिक की पाइप व एक अदद प्लास्टिक की पिपिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 शेरे आलम खां 2. उ0नि0 दिनेश तिवारी
3. का0 जयवीर सिंह 4. म0का0 पिंकी